


रिश्ता-नाता से सम्बन्धित
हज़रत खलीफ़तुल मसीह अल् खामिस
अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़
के दो महत्त्वपूर्ण ख़ुत्बे



प्रकाशक

नज़ारत नश्रो इशाअत, क़ादियान

فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ^ط
وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ - (9 - सूरह अत्तगाबुन्)

रिश्ता-नाता से सम्बन्धित

हज़रत खलीफ़तुल मसीह अल् खामिस
अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़
के दो महत्त्वपूर्ण ख़ुत्बे

प्रकाशक

नज़ारत नश्रो इशाअत, क़ादियान

नाम पुस्तक : रिश्ता-नाता से सम्बन्धित हज़रत खलीफ़तुल मसीह
अल् खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़
के दो महत्त्वपूर्ण ख़ुत्बे
अनुवादक : फ़रहत अहमद आचार्य, इब्नुल मेहदी लईक़ एम ए
संस्करण : प्रथम संस्करण (हिन्दी) सितम्बर 2021 ई०
संख्या : 1000
प्रकाशक : नज़ारत नश्रो इशाअत,
क्रादियान, 143516
ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)
मुद्रक : फ़ज़ले उमर प्रिंटिंग प्रेस,
क्रादियान, 143516
ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)

Name of Book : Two Important Sermons Regarding
Matrimonial Matters
Translator : Farhat Ahmad & Ibnul Mahdi Laeeq
Edition : Present Edition (Hindi) September 2021
Quantity : 1000
Publisher : Nazarat Nashr-o-Ishat
Qadian, 143516
Distt. Gurdaspur, (Punjab)
Printed at : Fazl-e-Umar Printing Press,
Qadian, 143516
Distt. Gurdaspur (Punjab)

प्रकाशक की ओर से

मज्लिस शूरा भारत 2019 ई में एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था कि हज़रत खलीफ़तुल मसीह अल ख़ामिस् अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ के जुमा के दो ख़ुत्बे दिनांक 24 दिसंबर 2004 ई और 15 जनवरी 2010 ई जो रिश्ता नाता से संबंधित हैं उन्हें हिंदुस्तान की ऐसी समस्त भाषाओं में प्रकाशित किया जाए जहां जमाअतों की अधिक संख्या है।

इस प्रस्ताव को हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने प्रेम पूर्वक स्वीकृति प्रदान की थी।

अतः मज्लिस शूरा भारत के इस स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार नज़ारत नश्रो इशाअत, क़ादियान हुज़ूर अनवर के दोनों ख़ुत्बों को पुस्तकीय रूप में प्रकाशित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही है। इस पुस्तक के प्रकाशन में जिन-जिन लोगों ने सहयोग दिया है अल्लाह तआला उन सभी को उत्तम प्रतिफल प्रदान करे और इस पुस्तक को लोगों के प्रशिक्षण का अति उत्तम माध्यम बनाए। आमीन

प्रकाशक

नाज़िर नश्रो इशाअत, क़ादियान

विधवाओं और विवाह योग्य लड़के-
लड़कियों के विवाह करवाने के
बारे में पवित्र क़ुरआन, नबी करीम
सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की
हदीसों और हज़रत अब्दुस मसीह
मौऊद अलैहिस्सलाम के प्रवचनों
के हवाले से अत्यंत महत्वपूर्ण तथा
आवश्यक निर्देश

खुत्बा जुमा सय्यदना अमीर-उल-मोमिनीन हज़रत मिर्जा मसरूर अहमद
खलीफ़-तुल-मसीह अलखामिस् अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिहिल अज़ीज़।
(दिनांक 24 दिसंबर 2004 ई० बमुताबिक 24 फ़तह 1383 हिज़्री शम्सी स्थान
मस्जिद बैतुस्सलाम, पैरिस। फ़्रांस)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ - صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ - (सूरत अन्नूर आयत - 33)

आज-कल शादी-ब्याह की बहुत सी समस्याएँ सामने आती हैं। प्रतिदिन पत्रों में उनका वर्णन होता है। लड़कियों, औरतों की ओर से, बच्चियों के रिश्तों की समस्याएँ हैं। जिनका आर्थिक सामर्थ्य अधिक नहीं है उनके रिश्तों की समस्याएँ हैं लड़का हो या लड़की विधवाओं के रिश्तों की समस्याएँ हैं। ऐसी कुछ विधवाएँ होती हैं जो विवाह के योग्य होती हैं या कुछ ऐसी जो अपनी सुरक्षा के लिए विवाह करवाना चाहती हैं उनके रिश्तों की समस्याएँ हैं। लेकिन ऐसी विधवाएँ कई बार समाज की नजरों की वजह से डर जाती हैं और बावजूद यह समझने के कि हमें विवाह की ज़रूरत है, वे विवाह नहीं करवातीं। तो विभिन्न वर्गों की अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। हमारे कुछ पूर्वी देशों में विधवाओं के सन्दर्भ में बात करूँगा, इस बात को बहुत बुरा

समझा जाता है बल्कि गुनाह समझा जाता है कि औरत यदि विधवा हो जाए तो दूसरा विवाह करे। और कुछ बेचारी औरतें जो अपने हालात की वजह से विवाह करना चाहती हैं उनके कई बार रिश्ते भी तय हो जाते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा उनके प्रिय रिश्तेदार इस बात को बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। और इस तरह उनके बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं और बेचारी औरत को इतना असहाय बना देते हैं कि वह अपने जीवन से ही ऊब जाती है। और आश्चर्य इस बात का है कि यहां यूरोप में आकर जहां और दूसरे मामलों में व्यापक विचारधारा का नाम देकर बहुत सारे मामलों में सम्मिलित हो जाते हैं जिनमें से कुछ की इस्लाम अनुमति भी नहीं देता लेकिन यह जो अल्लाह तआला का आदेश है कि विधवाओं का विवाह करो इस बारे में बड़ा स्वाभिमान दिखा रहे हैं।

यह जो मैंने आयत तिलावत की है अल्लाह तआला पवित्र कुरआन में फ़रमाता है कि तुम्हारे बीच जो विधवाएं हैं उनकी भी शादियां करवाओ और इसी प्रकार तुम्हारे बीच जो तुम्हारे गुलामों और लौंडियों में से सच्चरित्र हों उनकी भी शादियां करवाओ। यदि वे गरीब हों तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें धनी बना देगा। और अल्लाह बहुत सामर्थ्य प्रदान करने वाला और स्थाई ज्ञान रखने वाला है।

यह है अल्लाह तआला का आदेश जिस पर हर एक को अमल करना चाहिए। अल्लाह तआला तो बड़े स्पष्ट रूप से खुल कर फ़रमाता है कि समाज में यदि नेकियों को बढ़ावा देना है तो समाज में जो विवाह योग्य विधवाएं हैं उनकी भी शादियां कराने की कोशिश करो बल्कि यहां तक कि उस ज़माने में जो गुलाम थे और लौंडियां थीं उनमें से भी जो सच्चरित्र हैं उनकी भी शादियां करवा दो ताकि बुराई न फैले। यह क्रौम भी जो गरीब

लोग हैं ये भी मायूसी का शिकार न हों। तो यह आदेश विवाह की अनिवार्यता का है। इस ज़माने में गुलाम तो नहीं हैं लेकिन बहुत से देशों में ग़रीबी है और ग़रीबी के कारण विवाह नहीं होते तो जमाअत उन लोगों की मदद भी करती है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग सहायता करते हैं और करनी भी चाहिए। तो फ़रमाया यह न समझो कि उनकी ग़रीबी है इसलिए विवाह न करवाओ। यदि पुरुष कार्य नहीं करता या रोज़गार उस के पास नहीं है या कोई कमाई का ऐसा बड़ा माध्यम नहीं है तो उनकी शादियां भी करवाओ और फिर जमाअत में जो एक निज़ाम (प्रबंध) जारी किया गया है ऐसे लोगों के रोज़गार या कारोबार की कोशिश भी की जाती है और करनी भी चाहिए। तो जब ऐसी कोशिश होती है तो सिवाए कुछ एक के विवाह के बाद भावना भी उत्पन्न हो जाती है कि उन्होंने अपने बीवी-बच्चों को सँभालना है इसलिए कोई काम करें, कोई कारोबार करें, कोई नौकरी करें, कोई रोज़गार करें। फिर अधिकतर पत्नी भी अपने पति के लिए कोई कार्य करने के लिए या रोज़गार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का कारण बन जाती है। पत्नी भी इस पर दबाओ डालती है तो इस से भी ध्यान उत्पन्न हो जाता है। और कई उदाहरणों ऐसी हैं कि विवाह के बाद ऐसे ग़रीबों के हालात बेहतर हो गए। तो अल्लाह तआला फ़रमाता है कि यह अल्लाह तआला का कार्य है। वह ज्ञान रखता है कि किस के क्या हालात होने हैं। समाज का यह कार्य है कि चाहे वे विधवाएं हों, चाहे वे ग़रीब लोग हों उनकी शादियां करवाने की कोशिश करो। इस तरह समाज बहुत सी बुराइयों से पवित्र हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। विधवाओं में से भी अधिकतर जो ऐसी हैं जैसा कि मैंने कहा था कि विवाह कराने की इच्छा रखती हों, ज़रूरतमंद हों और उनमें से ऐसी भी बहुत सारी संख्या होती है जो पति की मृत्यु के बाद सामाजिक समस्याओं से दो-चार हो जाती

है। समाज की कुछ समस्याएँ हैं जिनसे दो-चार होती हैं तो उनकी यह इच्छा होती है कि उनको कोई ठिकाना मिले। उनको सुरक्षा मिले बजाए इस के कि वे निरंतर कष्ट सहन करती रहें। इसलिए फ़रमाया कि पवित्र समाज के लिए भी और उनकी निजी समस्याओं के हल के लिए भी पूरी कोशिश करो कि उनकी विवाह करवा दो। तो यह है अल्लाह तआला का आदेश जैसा कि मैंने कहा कुछ समाज इस को नापसंद करते हैं। इस्लामी और अहमदी समाज कहलाते हुए कुछ लोग नापसंद करते हैं। तो हर अहमदी को यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह तआला के आदेशों के मुकाबले में हमारी रिवायतें अर्थात वे झूठी रिवायतें जो दूसरे धर्मों या गैर मुस्लिमों के बिगड़े हुए धर्म का भाग बन कर हमारे अंदर पनप रही हैं, हमारे अंदर प्रविष्ट कर रही हैं उनको निकलना चाहिए।

अल्लाह तआला तो विधवाओं को यह अनुमति देता है कि विधवा होने के बाद यदि किसी का पति मर जाए तो उस के बाद चार महीने दस दिन का जो इद्दत* की अवधि है, वह पूरी कर के यदि तुम अपनी इच्छा से कोई रिश्ता कर लो और विवाह कर लो तो कोई हर्ज नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से फ़ैसला लेने की या किसी बड़े से पूछने की। लेकिन शर्त यह है कि मारूफ़ (अर्थात पवित्र कुरआन के आदेशों के अनुसार) रिश्ते तय करो। समाज को पता हो कि यह विवाह हो रहा है तो फिर कोई हर्ज नहीं। तो विधवाओं को तो अपने बारे में अपने भविष्य के बारे में फ़ैसला करने का स्वयं अधिकार दे दिया गया है या अनुमति है और लोगों को यह कहा है कि तुम अकारण इस में रोकें डालने की कोशिश न करो और अपने रिश्तों

* इद्दत- इस्लाम धर्म के अनुसार पति के मरने या तलाक़ देने के बाद का वह अवधि जिसमें स्त्री पुनर्विवाह नहीं कर सकती- अनुवादक

का सन्दर्भ देने की कोशिश न करो। यदि ये विधवाओं के रिश्ते जायज़ और मारूफ़ तौर पर हो रहे हैं तो अल्लाह तआला इस की अनुमति देता है तुम पर इस का कोई गुनाह नहीं है। तुम अपने आपको खानदान का बड़ा समझ कर या बड़े रिश्ते का हवाला देकर रोक न डालो कि यह रिश्ता ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए या उचित नहीं है। विधवा को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार है। तुम किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से आजाद हो। अल्लाह तुम्हारे दिल का भी हाल जानता है यदि तुम किसी कारणवश नेक नीयती से यह रोक डालने या समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ये रिश्ता न हो तो ज़्यादा से ज़्यादा यह करो कि जो तुम्हारे दिल में है उसे प्रदर्शित कर दो, उस को बता दो और इस के बाद पीछे हट जाओ और निर्णय का अधिकार उस विधवा के पास रहने दो। अल्लाह तआला तुम्हारे दिल का हाल जानता है इस को तुम्हारी नीयत का पता है तुम्हारे से बिलकुल पूछा नहीं जाएगा। यदि नेक नीयत है तो नेक नीयती का सवाब मिल जाएगा।

अल्लाह तआला इस बारे में फ़रमाता है :

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ (अलबक्रह- 2/235)

अर्थात तुम में से वे लोग जो वफ़ात दिए जाएं और पत्नियाँ छोड़ जाएं तो वे पत्नियाँ चार महीने और दस दिन तक अपने आपको रोके रखें। अतः जब वे अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर लें तो फिर वे स्त्रियाँ अपने बारे में मारूफ़ के अनुसार जो भी करें इस बारे में तुम पर कोई गुनाह नहीं और अल्लाह इस से जो तुम करते हो हमेशा बाख़बर रहता है।

हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस बारे में फ़रमाते हैं कि:

"विधवा के निकाह का आदेश इसी तरह है जिस तरह कि बाकिरा (कुंवारी कन्या) के निकाह का आदेश है। क्योंकि कुछ कौमें विधवा स्त्री का विवाह सम्मान के विरुद्ध समझते हैं और यह बुरी रसम बहुत फैली हुई है। इसलिए विधवा के विवाह के लिए आदेश हुआ है लेकिन इस के यह अर्थ नहीं कि हर विधवा का विवाह किया जाए। विवाह तो उसी का होगा जो विवाह के योग्य है और जिसके लिए विवाह आवश्यक है। कुछ स्त्रियाँ बूढ़ी हो कर विधवा होती हैं। कुछ के बारे में दूसरे हालात ऐसे होते हैं कि वे विवाह के योग्य नहीं होतीं। जैसे किसी को ऐसी बीमारी हो जाती है कि वह विवाह योग्य ही नहीं या एक अधिक सन्तान और संबंधों के कारण ऐसी हालत में है कि उस का दिल पसंद ही नहीं कर सकता कि वह अब दूसरा विवाह करे। ऐसी परिस्थितियों में विवशता नहीं कि औरत को अकारण जकड़ कर पति कराया जाए। हाँ इस बुरी रसम को मिटा देना चाहिए कि विधवा औरत को आजीवन बिना पति के जबरदस्ती रखा जाता है।"

(मलफ़ूजात जिल्द पंचम पृष्ठ 320 नवीन ऐडीशन)

आप अलैहिस्सलाम ने इस की व्याख्या कर दी, और अधिक खोल कर वर्णन कर दिया कि पहली बात तो समाज और प्रिय संबंधियों को यह आदेश है कि यदि कोई विवाह की आयु में विधवा हो जाती है तो तुम लोग उस के रिश्ते की भी इसी प्रकार कोशिश करो जैसे बाकिरा या कुंवारी लड़की, नौजवान लड़की के रिश्ते के लिए कोशिश करते हो। यह तुम्हारा अपमान नहीं है अपितु तुम्हारा सम्मान इसी में है। दूसरी बात कि यदि कोई आयु की अधिकता के कारण या सन्तान की अधिक संख्या के कारण या अपने कुछ दूसरे हालात के कारण या किसी बीमारी के कारण विवाह न

करना चाहे तो यह निर्णय करना भी उस का अपना कार्य है। तुम एक राय दे कर उस के बाद पीछे हट जाओ रिश्ता करवाने के लिए, न कि रिश्ता रोकने के लिए। रिश्ता करना या न करना यह उस का अपना निर्णय होगा। उस का अपना अधिकार है उस को किसी भी प्रकार विवश न किया जाए। फिर यह कि समाज का, रिश्तेदारों का कोई अधिकार नहीं कि वे ज़बरदस्ती किसी विधवा को सारी आयु विधवा ही रखें या उस को कहें कि तुम सारी आयु विधवा रहो। यदि खुद अपनी इच्छा से कोई विवाह करना चाहती है तो कुरआनी आदेश के अनुसार उसे विवाह करने दो। किसी विधवा को विवाह से रोकना भी बड़ी व्यर्थ और गंदी रस्म है और उस को अपने अंदर से समाप्त करो।

एक रिवायत में आता है कि हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने आपको तीन बार फ़रमाया:- हे अली! जब नमाज़ का समय हो जाए तो देर न करो और इसी तरह जब जनाज़ा उपस्थित हो या औरत विधवा हो और इस का योग्य वर मिल जाए तो इस में भी देर न करो। (तिरमिज़ी, किताबुस्सलात, बाब फ़िल वक्तिल अव्वल)

तो इस में आप अलैहिस्सलाम ने दो बातों को जो मनुष्यों से संबंधित हैं इबादत के साथ रखा है। नमाज़ जो अल्लाह तआला के आगे झुकना है उस की इबादत करना एक फ़र्ज़ है और इबादत के उद्देश्य से ही मनुष्य को पैदा किया गया है। इस को समय पर अदा करने का आदेश है और जब समय आ जाए तो इस में देर नहीं होनी चाहिए इसी में हमारी भलाई है। और पवित्र समाज की स्थापना की ज़मानत भी इस में है कि अल्लाह तआला ने जो इबादत के समय निर्धारित किए हैं उस समय में

अदायगी की जाए। तो इस के बाद फ़रमाया कि जनाज़ा है यदि कोई फ़ौत हो जाए तो उस को दफ़नाने में भी जल्दी करनी चाहिए वफ़ात पाने वाले की इज़्जत भी इसी में है। फिर कुछ परिवारों में देर तक जनाज़ा रखने से कई समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं इसलिए जल्दी दफ़ना दो। फिर फ़रमाया कि औरत यदि विधवा हो जाए और विवाह के योग्य हो और उस का योग्य वर मिल जाए, उचित रिश्ता मिल जाए, समाज में इस औरत का जो स्तर है उस के अनुसार हो ख़ानदानी लिहाज़ से, अपने रहन-सहन के लिहाज़ से समान हो, औरत को पसंद भी हो तो फिर रिश्तेदार इस सिलसिले में रोकें न डालें बल्कि उचित यह है कि उस को जल्द से जल्द ब्याह दो। इस से भी पवित्र समाज की स्थापना होगी और औरत भी समाज की बहुत सी बातों से, जो विधवा होने के कारण उस को सहनी पड़ती हैं, बच जाएगी। फिर विधवा को स्वयं भी अधिकार दिया गया है कि खुद भी वह वैध रूप से विवाह कर सकती है जैसा कि पवित्र क़ुरआन से सिद्ध है। यह भी इसलिए है कि वह अपने आपको सुरक्षित रख सके।

इस अधिकार के बारे में आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस प्रकार व्याख्या की है कि एक रिवायत में आता है इब्ने अब्बास रज़ि से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि विवाह के मामले में विधवा अपने बारे में निर्णय करने के विषय में अपने वली से ज़्यादा अधिकार रखती है और कुँवारी से अनुमति ली जाएगी और उस का ख़ामोश रहना अनुमति समझा जाएगा।

(सुनन अद्दार्मी, किताबुन्निकाह, बाब इस्तिमारुल बिक्र वस्सैब)
तो व्याख्या हो गई कि विधवा का अधिकार सर्वोपरी है लेकिन कुँवारी लड़की के बारे में यह शर्त है कि उस का वली उस के बारे में निर्णय ले और वह

इसलिए कि अल्लाह तआला के आदेश तो वास्तव में समाज में भलाई और अमन-शांति उत्पन्न करने के लिए हैं। तो विधवा क्योंकि दुनिया के अनुभव से गुज़र चुकी होती है, दुनिया की ऊंच-नीच देख चुकी होती है और इल्ला माशा अल्लाह सोच समझ कर निर्णय कर सकती है इसलिए इस को यह अधिकार दे दिया। लेकिन कुँवारी लड़की कई बार भूल-चूक में ग़लत निर्णय भी कर लेती है इसलिए उस के रिश्ते का अधिकार उस के वली* को दिया गया है। लेकिन फिर भी उस को यह अधिकार दिया गया कि यदि वह अपने वली या बाप के निर्णय से असहमति रखती हो, उस पर राज़ी न हो तो निज़ाम-ए-जमाअत को बताए और निर्णय करवा ले लेकिन स्वयं व्यवहारिक क्रदम उठाने की अनुमति नहीं है। इस से भी समाज में नेकी और भलाई की बजाए लड़ाई-झगड़ा उत्पन्न होने का ख़तरा होता है। अतः कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लड़कियों ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को कहा कि पिता अमुक रिश्ता कराना चाहता है और आप ने लड़कियों के हक़ में फ़ैसला दिया। कई बार यह हुआ कि लड़की ने कहा कि मैं नहीं चाहती। अतः एक बार इसी प्रकार एक लड़की आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुई और कहा कि क्या हम औरतों को रिश्तों के मामले में कोई हक़ नहीं है? आप ने फ़रमाया- बिल्कुल है। तो उसने कहा कि मेरा बाप मेरा रिश्ता अमुक बूढ़े व्यक्ति से करना चाहता है, या कर रहा है या कर दिया है। तो आप स.अ.व. ने फ़रमाया कि तुम्हें अनुमति है। लेकिन इस सच्चरित्र बच्ची ने कहा कि मैं केवल स्त्री का अधिकार स्थापित करना चाहती थी अपने बाप का दिल तोड़ना नहीं चाहती। मुझे अपने बाप से बहुत प्यार है। मैं इस रिश्ते पर भी राज़ी हूँ परन्तु स्त्री का अधिकार अवश्य स्थापित होना

* वली- अभिभावक

चाहिए इस के लिए मैं उपस्थित हुई थी।

फिर एक बार आप स.अ.व. ने एक लड़की के बाप का तय किया हुआ रिश्ता (जो लड़की की इच्छा के विरुद्ध था) तुड़वा दिया। अतः रिवायत में आता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास वर्णन करते हैं कि एक औरत का पति फ़ौत हो गया। उस का इस से एक बच्चा भी था। बच्चे के चाचा ने औरत के पिता से उस विधवा का रिश्ता मांगा। औरत ने भी रज़ामंदी का इज़हार किया। लेकिन लड़की के पिता ने इस का रिश्ता उस की रज़ामंदी के बिना किसी और से कर दिया। इस पर वह लड़की हुज़ूर स.अ.व. की सेवा में उपस्थित हुई और शिकायत की। हुज़ूर स.अ.व. ने उस के पिता को बुला कर पुछा। उस के पिता ने कहा, उस के देवर से बेहतर आदमी के साथ मैंने इस का रिश्ता किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने बाप के किए हुए रिश्ते को तोड़ कर बच्चे के चचा अर्थात औरत के देवर से उस का रिश्ता कर दिया। (मस्नदुल इमाम अलआज़म, किताबुन्निकाह)

अब यहां विधवा का अधिकार सर्वोपरी था और दूसरी बात यह है कि औरत (लड़की) की इच्छा भी देखनी थी। लेकिन ये जमाअत अहमदिया में बहरहाल देखा जाएगा कि लड़की जहां रिश्ता कर रही है या जहां रिश्ते की इच्छा रखती है वह लड़का बहरहाल अहमदी हो। क्योंकि इन समस्त बातों का उद्देश्य पवित्र समाज की स्थापना है नेकियों को स्थापित करना है और नेक सन्तान की प्राप्ति है। यदि अहमदी लड़के अहमदी लड़कियों को छोड़ कर और अहमदी लड़कियां अहमदी लड़कों को छोड़कर दूसरों से विवाह करेंगे तो समाज में, ख़ानदान में बिगाड़ उत्पन्न होने का ख़तरा होगा। नई नसल के दीन से हटने का ख़तरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए धर्म की समानता को देखना भी इसी प्रकार ज़रूरी है जिस प्रकार दुनिया का। हमारे

लड़कों और लड़कियों में से कुछ को गैरों में रिश्ते करने का बड़ा झुकाव होता है। इस ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है विशेष रूप से इस आजाद समाज में। निजाम की भी चिंता इसलिए बढ़ गई है कि ऐसे मामले अब बहुत अधिक होने लग गए हैं कि अपनी इच्छा से गैरों में, दूसरे धर्मों में रिश्ते करने लग जाते हैं।

एक रिवायत में आता है हज़रत अबु हातिम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति कोई रिश्ता लेकर आए जिसकी दीनदारी और शिष्टाचार तुम्हें पसंद हों तो उसे रिश्ता दे दिया करो। यदि ऐसा न करोगे तो ज़मीन में लड़ाई-झगड़ा पैदा होगा। प्रश्न करने वाले ने प्रश्न करना चाहा लेकिन आप ने तीन बार यही फ़रमाया कि यदि तुम्हारे पास कोई व्यक्ति रिश्ता लेकर आए जिसकी दीनदारी और शिष्टाचार तुम्हें पसंद हों तो उसे रिश्ता दे दिया करो। (तिरमिज़ी किताबुन्निकाह)

तो आप स.अ.व. ने इस ओर ध्यान दिलाया कि दीनदार लड़के से रिश्ता कर लिया करो। आर्थिक कमजोरी भी यदि हो तो यह अल्लाह तआला का वादा है कि दीन पर स्थापित है तो अल्लाह तआला आर्थिक परिस्थिति भी ठीक कर देगा। इसलिए जब बच्चियों के रिश्ते आते हैं तो ज़्यादा लटकाना नहीं चाहिए बल्कि यदि दीनदारी की संतुष्टि हो गई है तो रिश्ता कर देना चाहिए। इस तरह लड़कों को भी आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का यह आदेश है कि रिश्ते करते समय लड़की की जाहिरी और दुनियावी हालत को न देखो उसकी हैसियत को न देखा करो बल्कि यह देखो कि उस में नेकी कितनी है।

अतः हज़रत अबु हुरैरा रिवायत करते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो

अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया: किसी औरत से विवाह करने की चार ही बुनियादें हो सकती हैं या तो उस के धन के कारण या उस के ख़ानदान के कारण या उसकी सुन्दरता के कारण या उस की दीनदारी के कारण। लेकिन तू दीनदार औरत को प्राथमिकता दे। अल्लाह तेरा भला करे और तुझे दीनदार औरत प्राप्त हो। (बुखारी किताबुन्निकाह, बाबुल इकफ़ा फिद्दीन)

तो इस ओर ध्यान दिलाकर आने वाली नसलों के दीनदार होने के जाहिरी साधनों की ओर वास्तव में ध्यान दिलाया है अपने घरेलू वातावरण को शांतिमय बनाने की ओर ध्यान दिलाया है, क्योंकि यदि माँ नेक और दीनदार होगी तो अधिकांश रूप से सन्तान भी दीनदार होती है और नेक तथा दीनदार सन्तान से बढ़कर कोई दौलत नहीं है जो इन्सान को सकून पहुंचा सके। एक मोमिन के लिए समाज में सम्मान का कारण नेक और दीनदार सन्तान ही बन सकती है। तो इस ओर प्रत्येक अहमदी को ध्यान देना चाहिए। यह शिकायतें अब बड़ी आम होने लग गई हैं कि बच्ची नेक है, शरीफ़ है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, जमाअती कामों में भाग भी लेती है, लेकिन सुन्दरता थोड़ी कम है या कद उसका देखने वालों की कसौटी के अनुसार नहीं है। तो लोग आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं। इस बारे में मैं पहले भी एक बार ध्यान दिला चुका हूँ कि सुन्दरता और क्रद काठ तो फ़ोटो और जानकारी के द्वारा भी पता लग सकता है। फिर घर जा कर बच्चियों को देखना और उनको तंग करने की क्या ज़रूरत है इसलिए यह अल्लाह तआला का आदेश है कि इन चीज़ों को न देखो, दीनदारी को देखो। इसीलिए आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि अपनी नसलों को सँभालना है तो दीनदारी देखा करो। यदि बच्चियों की दीनदारी देखेंगे तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की दुआओं के वारिस भी बनेंगे और अपनी

नसल को भी दीन पर चलता हुआ देखने वाले होंगे।

कुछ लोग तो रिश्ते के समय लड़कियों को इस प्रकार टटोल कर देख रहे होते हैं जिस प्रकार कुर्बानी के बकरे को टटोला जाता है। विवाह तो एक मुआहिदा (समझौता) है। एक पक्ष की कुर्बानी का नाम नहीं है बल्कि दोनों पक्षों की एक दूसरे के लिए कुर्बानी का नाम है, यह ऐसा बंधन है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि वर्णन करते हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि दुनिया तो जीवनयापन का साधन है और नेक औरत से बढ़ कर और कोई जीवनयापन का साधन नहीं है। (इब्ने माजा अबवाबुन्निकाह, बाब अफ़ज़लुनिसा)

अतः उन लोगों के लिए जो हर चीज़ को दुनिया की कसौटी से मापते हैं उनको भी यह हदीस सामने रखनी चाहिए कि नेक औरत से बढ़ कर तुम्हारे लिए कोई जिंदगी का और दुनियावी साधन नहीं है। नेक औरत तुम्हारे घर को भी सँभाल के रखेगी और तुम्हारी सन्तान का भी उच्च प्रशिक्षण करेगी। परिणाम स्वरूप तुम दीन और दुनिया की भलाइयाँ प्राप्त करने वाले होगे।

फिर एक रिवायत में आता है हज़रत आइशा रज़ि से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : नेक पुरुष और नेक स्त्रियों का विवाह करवाया करो। (सुनन अद्दार्मी, किताबुन्निकाह, बाब फिन्निकाह अस्सालिहीन)

तो इस में भी नेक लड़कों और लड़कियों के विवाह के ओर संकेत है। और यह नेक कार्य समाज को बिगाड़ से बचाने का माध्यम है इसलिए इस में जल्दी भी करनी चाहिए। लेकिन आज कल तो कई बार देखा है ऐसे लोग काफ़ी संख्या में हैं। माँ-बाप के साथ लड़के आते हैं 34-35 वर्ष की आयु होती है लेकिन उनको अपने साथ चिमटाए रखा हुआ है उनकी अभी

तक शादियां नहीं करवाईं। विवाह की ओर ध्यान नहीं देते।

कई लोग ऐसे हैं जो बेटियों की कमाई खाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं कुछ बेटों की कमाई खाने के लिए इस तरह कर रहे होते हैं और जो बेटियों की कमाई खाने वाले हैं वे केवल इसलिए कि घर के जो लड़के हैं वे निकम्मे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे, पढ़े लिखे नहीं इसलिए घर बेटियों की कमाई पर चल रहा है और यदि विवाह कर भी दिया तो कोशिश यह होती है कि दामाद, घर जमाई बन कर रहे, घर में ही मौजूद रहे जो अधिकतर असंभव होता है। जिससे झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए विवाह करने के बाद यदि पति-पत्नी अलग रहना चाहते हैं और उनको सामर्थ्य है और माता-पिता आयु के उस अंतिम भाग में नहीं पहुंचे होते जहां उनको किसी की सहायता की आवश्यकता हो और कोई बच्चा उनके पास न हो, फिर तो एक और बात है, कुर्बानी करनी पड़ती है वह भी लड़कों का कार्य है। यदि किसी के लड़का न हो तो फिर लड़की की मजबूरी है। लेकिन सामान्य रूप से लड़की ब्याह कर जब दूसरे घर में भेज दी तो उस को अपना घर बसाने देना चाहिए। और इस तरफ़ जमाअती निज़ाम के साथ हमारी तीनों जैली तंज़ीमें लज्ना, खुद्दाम, अंसार उनको भी ध्यान देना चाहिए। उनको भी अपने तौर पर तर्बीयत के अंतर्गत समझाते रहना चाहिए। अंसार माता-पिता को समझाएँ, लज्ना माता-पिता को, लड़कियों को और खुद्दाम लड़कों को समझाएँ।

फिर एक रिवायत में आता है हज़रत मुगैरह रज़ि वर्णन करते हैं कि उन्होंने एक जगह मंगनी का प्रस्ताव दिया तो आप ने फ़रमाया कि उस लड़की को देख लो क्योंकि इस प्रकार देखने से तुम्हारे और उस के बीच समानता और प्रेम की संभावना अधिक है।

(तिरमिज़ी किताबुन्निकाह, बाब फिन्नज़रे इलल मख़तूबा)

इस अनुमति को भी आज-कल के समाज में कुछ लोगों ने गलत समझ लिया है और यह अर्थ ले लिया है कि एक-दूसरे को समझने के लिए हर समय अलग बैठे रहें, अलग सैरें करते रहें दूसरे शहरों में चले जाएं तो कोई हर्ज नहीं, घरों में भी घंटों अलग बैठे रहें तो यह चीज भी गलत है। अर्थ यह है कि आमने-सामने आकर, शकल देखकर एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। कुछ चीजों का बातें करते हुए पता लग जाता है। फिर आज-कल के ज़माने में घर वालों के साथ बैठ कर खाना खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। खाना खाते हुए भी एक दूसरे की बहुत सी बातें और आदतें जाहिर हो जाती हैं। और यदि कोई बात नापसंदीदा लगे तो अच्छा है कि पहले पता लग जाए और बाद में झगड़े न हों। और यदि अच्छी बातें हैं तो समानता और प्रेम इस रिश्ते के साथ और भी बढ़ जाता है या रिश्ते के पैगाम के साथ। तो आपस में एक संबंध विवाह से पहले पैदा हो जाएगा। दूसरे लोगों का कई बार किरदार यह होता है कि यदि किसी का रिश्ता हो गया है तो उस को तुड़वाने की कोशिश करें। लेकिन लड़का-लड़की के आमने-सामने मिलने से और एक दूसरे का व्यवहार देखने से उनको यह अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि एक दूसरे को जानते होंगे। लेकिन कुछ लोग दूसरी ओर भी अति की ओर चले गए हैं उनको ये भी बर्दाश्त नहीं कि लड़का-लड़की विवाह से पहले या विवाह के प्रस्ताव के समय एक-दूसरे के आमने-सामने बैठ भी सकें उस को स्वाभिमान का नाम दिया जाता है। तो इस्लाम की शिक्षा एक समोई हुई शिक्षा है। न आधिक्य न न्यूनता। न एक इंतिहा न दूसरी इंतिहा। और इसी के अनुसार पालन होना चाहिए। इसी से समाज शांतिमय रहेगा और समाज से बिगाड़ दूर होगा।

फिर एक रिवायत है हज़रत मअकल बिन यसार रज़ि वर्णन करते

हैं कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम ऐसी औरतों से विवाह करो जो मुहब्बत करना जानती हों और जिनसे अधिक सन्तान पैदा हो ताकि मैं लोगों की अधिकता के कारण पिछली उम्मतों पर गर्व कर सकूँ।

(अबु दाऊद, किताबुन्निकाह, बाब तज़वीजुल अबकार)

तो अधिक बच्चों वाली औरत को आपने यह भी स्थान दिया कि उनका बच्चों की अधिकता के कारण एक स्थान है क्योंकि यह मेरी उम्मत में वृद्धि का कारण बन सकती हैं। यहां आपका भाव केवल यह नहीं है कि गिनती बढ़ा लो, लोग ज़्यादा हो जाएं बल्कि ऐसी सन्तान हो जो नेकियों में बढ़ने वाली भी हो अल्लाह तआला के आदेशों पर अमल करने वाली भी हो तभी वह आपके लिए गर्व का कारण है। अतः इस में औरतों पर यह ज़िम्मेदारी भी डाली है कि केवल सन्तान पर गर्व न करें अपितु नेकियों पर चलने वाली सन्तान बनाने की कोशिश करें जो आप की उम्मत कहलाने में गर्व का अनुभव करे और आप जिस प्रकार फ़रमा रहे हैं कि मुझे भी इन औरतों पर गर्व होगा जिनकी संताने अधिक होंगी और नेकियों पर स्थापित भी होंगी।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम खुद भी सहाबा को विवाह की अधिकतर नसीहत फ़रमाते रहते थे बल्कि बार-बार ध्यान दिलाते रहते थे और कई बार जब किसी का रिश्ता तय करवाते तो खुद भी बड़ी दिलचस्पी लेकर निजि रूप से प्रबंध करते। इसी तरह की एक रिवायत हज़रत रबीया अस्लमी रज़ी अल्लाह अन्हो की रिवायत है। (लंबी रिवायत है) मस्नद अहमद बिन हंबल में आई है जिसका सारांश यह है कि आप (हज़रत रबीया) रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सेवा किया करते थे एक बार रसूल करीम स.अ.व ने फ़रमाया रबीया विवाह नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा

कि नहीं, फिर कुछ समय बाद आप ने फ़रमाया रबीया! विवाह नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं : रबीया ने खुद ही सोचा कि मेरा बुरा-भला चाहने वाले तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम हैं। आप जानते हैं कि क्या भला है और क्या बुरा है। यदि अब मुझसे पूछा तो मैं हाँ में उत्तर दूँगा। जब रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार पूछा तो उन्होंने हाँ में उत्तर दिया कि जी हाँ या रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम। इस पर आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अंसार के अमुक ख़ानदान की ओर जाओ और उनको मेरा संदेश दो कि अमुक लड़की से तुम्हारा विवाह कर दें। अतः रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सन्देश पर उसने तुरंत स्वीकार कर लिया और उनका विवाह उस लड़की से हो गया। इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने वलीमे का प्रबंध भी सारा खुद किया और खुद वलीमे में शामिल भी हुए और दुआ भी करवाई।

(मस्नद अहमद बिन हनबल, मस्नदुल मदीनैन)

एक रिवायत में आता है हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि इस्लाम से पूर्व यह रिवाज था कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई यतीम लड़की होती तो वह इस पर एक कपड़ा डाल देता था। जब वो कपड़ा डाल देता था तो किसी का साहस नहीं होता था कि कोई उस लड़की से निकाह कर सके। यदि वह सुन्दर और धनवान होती तो वह खुद उस से विवाह कर लेता और इस का धन खा जाता और रूप अधिक सुन्दर न होता और धनवान होती तो वह व्यक्ति उस को सारी उम्र अपने पास रोक लेता यहां तक कि वह मर जाती। जब वह मर जाती तो उसकी धन-संपत्ति का वह स्वामी बन जाता।

तो अरब के यह हालात थे जिसके कारण अल्लाह तआला ने हमें

विधवाओं और यतीमों के विवाह की ओर ध्यान दिलाया। और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने भी विशेष रूप से रुचि लेकर अपने सहाबा और सहाबियात की शादियां करवाईं और इस आदेश पर अमल करवाया और नसीहत की कि युवावस्था की आयु को पहुंचने पर स्त्री और पुरुष का विवाह कर दो। विधवाएं भी यदि युवावस्था में हैं या विवाह की इच्छुक हैं तो उनके विवाह करो। और केवल निजि सांसारिक लाभ उठाने के लिए घरों में लड़कियों को बिठाए न रखो। और न ही लड़कों के विवाह में विलंब करो। तो यह अब पूरे समाज की ज़िम्मेदारी है कि विवाह योग्य लोगों के विवाह करवाने की ओर ध्यान दें।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस ज़माने में बड़ी फ़िक्र के साथ कुरआन और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आदेश का पालन करने का प्रयास किया है। और विशेष रूप से यह कोशिश की और ध्यान दिया कि अहमदी लड़कियों और लड़कों के रिश्ते जमाअत में ही हों ताकि आगे आने वाली नसलें दीन पर स्थापित रहने वाली नसलें हों। आप ने जमाअत में रिश्ते करने के बारे में आपस में बड़ी नसीहत की है। उन लोगों के लिए जो ग़ैरों में रिश्ते करते हैं ये उनके लिए है।

आप अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं- कि "क्योंकि खुदा तआला के फ़ज़ल और करम और उसके प्रतिष्ठित वरदानों से हमारी जमाअत की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो रही है और अब हजारों तक उस की संख्या पहुंच गई और शीघ्र ही अल्लाह तआला के फ़ज़ल से लाखों तक पहुंचने वाली है।" अब अल्लाह तआला के फ़ज़ल से करोड़ों तक पहुंची हुई है। "इसलिए यह हितकारी मालूम हुआ कि उनकी आपसी एकता के बढ़ाने के लिए और इसी प्रकार उनको रिश्तेदारों के दुष्प्रभाव और दुष्परिणामों से बचाने के

लिए लड़कियों और लड़कों के निकाह के बारे में कोई उत्तम प्रबंध किया जाए। यह तो ज़ाहिर है कि जो लोग विरोधी मौलवियों की छात्र-छाया में हो कर घृणित और शत्रुता और कृपणता और दुश्मनी की पूर्ण श्रेणी तक पहुंच गए हैं उनसे हमारी जमाअत के नए रिश्ते असंभव हो गए हैं जब तक कि वे तौबा करके इसी जमाअत में सम्मिलित न हों। और अब यह जमाअत किसी बात में उनकी मुहताज नहीं। धन में, दौलत में, ज्ञान में, उत्कृष्टता में, खानदान में, परहेजगारी में, खुदातरसी में श्रेष्ठता रखने वाले इस जमाअत में अधिकता से मौजूद हैं और हर एक इस्लामी क्रौम के लोग इस जमाअत में पाए जाते हैं। तो फिर इस अवस्था में कुछ भी जरूरत नहीं कि ऐसे लोगों से हमारी जमाअत नए संबंध उत्पन्न करे जो हमें काफ़िर कहते हैं और हमारा नाम दज्जाल रखते हैं या खुद तो नहीं कहते परन्तु ऐसे लोगों के प्रशंसक और अनुयायी हैं जो ऐसा कहते हैं।" अर्थात् यदि खुद नहीं कहते लेकिन जो लोग कहने वाले हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। "और याद रहे कि जो व्यक्ति ऐसे लोगों को छोड़ नहीं सकता वह हमारी जमाअत में सम्मिलित होने के योग्य नहीं। जब तक पवित्रता और सच्चाई के लिए एक भाई दूसरे भाई को नहीं छोड़ेगा और एक बाप बेटे से अलग नहीं होगा तब तक वह हम में से नहीं। अतः समस्त जमाअत ध्यानपूर्वक सुन ले कि सच्चे इंसान के लिए इन शर्तों पर पाबंद होना जरूरी है। इसलिए मैंने प्रबंध किया है कि आगे से विशेष रूप से मेरे हाथ में छुपा कर और गुप्त रूप से अर्थात् Confidential होगा। एक किताब हो जिसमें इस जमाअत की लड़कियों और लड़कों के नाम लिखे रहें। और यदि किसी लड़की के माता-पिता अपने कुंभे में ऐसी शर्तों का लड़का न पाएं जो अपनी जमाअत के लोगों में से हो और नेक-चलन और इसी प्रकार उनकी संतुष्टि के अनुसार योग्य हो ऐसा ही यदि ऐसी

लड़की न पाएं तो इस परिस्थिति में उन पर अनिवार्य होगा कि हमें इजाजत दें कि हम इस जमाअत में से तलाश करें। और हर एक को तसल्ली रखनी चाहिए कि हम माता-पिता के सच्चे हमदर्द और दुःख-दर्द बांटने वालों के समान तलाश करेंगे और यथासामर्थ्य यह ख्याल रहेगा कि वह लड़का या लड़की जो तलाश किए जाएं रिश्ता करने वाले के हमक्रौम हों। और या अगर यह नहीं तो ऐसी क्रौम में से हों जो सामान्यतः आपस में रिश्तेदारियां कर लेते हों। और सबसे ज्यादा यह ख्याल रहेगा कि वह लड़का या लड़की सच्चरित्र और योग्य भी हों और नेकी के चिन्ह जाहिर हों। यह किताब गुप्त रूप से रखी जाएगी और समय-समय पर जैसी परिस्थितियाँ प्रस्तुत आएंगी सूचना दी जाएगी और किसी लड़के या लड़की के बारे में कोई राय प्रकट नहीं की जाएगी जब तक उस की योग्यता और सच्चरित्रता सिद्ध न हो जाए। "कुछ लोग वैसे भी पूछ लेते हैं आ कर पहले बताओ।" इसलिए हमारे निष्ठावानों पर अनिवार्य है कि अपनी सन्तान की एक नामों की सूची आयु और क्रौमीयत के साथ भेज दें ताकि वे किताब में दर्ज हो जाएं।

(मजमूआ इश्तिहारात, जिल्द तृतीय, पृष्ठ 50,51)

यह हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ओर से एक घोषणा थी। इसी के अंतर्गत अब यह शोबा रिश्ता नाता मर्कज़ में भी स्थापित है, समस्त दुनिया में भी स्थापित है। कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी रुचि रखते हैं उनके सपुर्द भी यह काम जमाअती तौर पर किया गया है। और अल्लाह तआला के फ़ज़ल से रिश्ते तय होते हैं लेकिन फिर भी कुछ कठिनाइयाँ हैं। अल्लाह तआला उनको भी दूर करे लेकिन इस में उन लोगों का संतोषपूर्ण उत्तर भी है जो यह कहते हैं कि हमें बहर रिश्ते करने की अनुमति होनी चाहिए। फ़रमाया कि यदि खुद ऐसे लोग काफ़िर नहीं कहते या फ़तवे नहीं

लगाते लेकिन उनके साथ उठते बैठते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं भय के कारण कुछ कह नहीं सकते उनकी मस्जिदों में जाते हैं उनकी बातें सुनते हैं तो वे उन्हीं लोगों में शामिल हैं और ऐसे लोगों से रिश्तेदारियां नहीं करनी चाहिए। फिर आप ने फ़रमाया कि लड़कों और लड़कियों के नाम भेजें। अब हमारा यह विभाग रिश्ता नाता है जैसा कि मैंने कहा जमाअत में हर जगह स्थापित है उनके विरुद्ध सामान्यतयः यह शिकायतें होती हैं कि लड़कियों के रिश्ते नहीं करवाते। इस की एक तो यह दिक्कत है कि माँ बाप लड़कियों के नाम भिजवा देते हैं लेकिन लड़कों के नाम नहीं भिजवाते। यदि लड़के भी सूचि में हों तो फिर ही रिश्ते करवाने में सहूलत भी होगी। सामान्य रूप से लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है। लेकिन यह अनुपात इतना अधिक है कि यदि 51-52 लड़कियां हैं तो 48-49 लड़के होंगे। लेकिन जो जमाअत के पास डेटा आता है उस में यदि 7-8 लड़कियों के कवाइफ़ होते हैं तो एक लड़के के कवाइफ़ होते हैं। इस तरह तो फिर रिश्ते मिलाने बहुत कठिन हो जाते हैं। यदि दोनों ओर के पूर्ण कवाइफ़ आएँ तो रिश्ते करवाने में सुविधा होगी। लड़कों के रिश्ते कई बार बल्कि अधिकतर माता-पिता दोनों ही खुद करवाने की कोशिश करते हैं। केवल रिश्तेदारियों के या निकटवर्तियों के, लड़कों के रिश्तों के लिए भी नाम और सूचि और कवाइफ़ निज़ाम-ए-जमाअत को उपलब्ध होने चाहिए। तभी फिर लड़कियों के रिश्ते भी हो सकते हैं ताकि आपस में देख कर तय किए जा सकें। इसलिए माता-पिता के अतिरिक्त लड़कों को भी इस तरफ़ ध्यान देना चाहिए कि एक तो जमाअत के अंदर लड़कियों का रिश्ता तय करने की कोशिश करें और यदि अपने प्रिय रिश्तेदारों में नहीं मिलता तो जमाअती निज़ाम के अंतर्गत तय करने की कोशिश करें। और फिर कुछ लोग खानदानों और जातियों और

शकलों इत्यादि की समस्याओं में उलझ जाते हैं और फिर इनकार कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने पहले भी बताया था। फिर इन समस्याओं में इस प्रकार उलझते हैं तो फिर लड़कियों के रिश्ते तय करने में कठिनाई होती हैं। तो ये जातियां इत्यादि भी अब छोड़नी चाहिए।

इस बारे में हजरत अब्दुस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि यह जो विभिन्न जातियां हैं यह कोई शराफ़त (प्रतिष्ठा) की बात नहीं। खुदा तआला ने केवल पहचान के लिए यह जातियां बनाई हैं और आज-कल तो केवल चार पुश्तों के बाद वास्तविकता पता लगाना ही कठिन है। संयमी की शान नहीं कि जातियों के झगड़े में पड़े। जब अल्लाह तआला ने फ़ैसला कर दिया कि मेरे निकट जाति का कोई प्रमाण नहीं। वास्तविक सम्मान और महानता का कारण केवल तक्वा (संयम) है तो फिर इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।

अल्लाह तआला हम सबको तक्वा पर चलते हुए रिश्ते स्थापित करने का सामर्थ्य दे। बच्चों के रिश्ते करवाने का सामर्थ्य दे और कुरआनी आदेश के अनुसार अनार्थों, विधवाओं हर एक के रिश्ते करवाने का सामर्थ्य प्रदान करे। निज़ाम-ए-जमाअत को भी और लोगों को भी समाज को भी। और सब बच्चियां जिनके माता-पिता परेशान हैं उन सबकी परेशानियाँ दूर फ़रमाए। आमीन



शादियों पर फ़ज़ूल खर्ची और दिखावा और अपनी शान और पैसे का जो इज़हार है वह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा अब इन रस्मों में पड़ने लग गए हैं। अब मैं खुल कर कह रहा हूँ कि इन बेहूदा रस्मो-रिवाज के पीछे न चलें और उसे बंद कर दें।

खुत्बा जुमा सय्यदना अमीर-उल-मोमिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद खलीफ़-तुल-मसीह अल-ख़ामिस् अय्यदहुल्लाहु तआला बिनसिंहिल अज़ीज़।
दिनांक 15, जनवरी 2010 ई (15, सुलह 1389 हिज़्री शमसी) स्थान: मस्जिद
बैतुल फ़तूह, लंदन (बर्तानिया)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَلِكِ
يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ -

فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا. وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (9- अत्तगाबुन्)

अल्लाह तआला का अपने बंदों पर यह बहुत बड़ा अहसान है कि इन्सान को अशरफ़-उल-मखलूक़ात (सर्वश्रेष्ठ प्राणी) बना कर ऐसा दिमाग़ प्रदान किया जिसके प्रयोग से वह खुदा तआला की पैदा की हुई शेष प्राणिजगत और हर चीज़ को न केवल अपने अधीन कर लेता है बल्कि इस से उत्तम लाभ उठाता है और हर नया दिन इन्सानी दिमाग़ की इस योग्यता से नए-नए आविष्कार सामने ला रहा है, जो दुनियावी तरक्की आज है वह आज से दस साल पहले नहीं थी और जो दुनियावी तरक्की आज से दस साल पहले थी वह 20 साल पहले नहीं थी। इसी तरह अगर पीछे जाते जाएं तो आज के नए-नए आविष्कारों की महत्व और इन्सानी दिमाग़ की योग्यता का अंदाज़ा होता है। लेकिन क्या यह तरक्की जो भौतिक रूप में इन्सान की है यही उस की जिंदगी

का मकसद है? हर जमाने का दुनियादार इन्सान यही समझता रहा कि मेरी यह तरक्की और मेरी यह ताकत, मेरी यह धन-दौलत, मेरा दुनियावी व्यस्तताओं में डूबना, मेरा अपनी दौलत से अपने से कमतर (निम्नतर व्यक्ति) अपना श्रेष्ठ होना जाहिर करना, अपनी दौलत को अपनी शारीरिक संतुष्टि का माध्यम बनाना, अपनी ताकत से दूसरों को अधीन करना ही जीवन का मकसद है। या एक आम आदमी भी जो एक दुनियादार है जिसके पास दौलत नहीं वह भी यही समझता है बल्कि आजकल के नौजवान जिनको धर्म में दिलचस्पी नहीं दुनिया की तरफ झुके हुए हैं वे यही समझते हैं कि जो नए आविष्कार हैं, टीवी है, इंटरनेट है, यही चीजें असल में हमारी तरक्की का कारण बनने वाली हैं और बहुत से उन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं। अतः यह बहुत ही गलत विचार है। इस विचार ने बड़े बड़े ग़ासिब (हड़पने वाले) पैदा किए। इस विचार ने बड़े बड़े ज़ालिम पैदा किए। इस विचार ने अय्याशियों में डूबे हुए इन्सान पैदा किए। इस विचार ने हर जमाने में फ़िरऔन पैदा किए कि हमारे पास ताकत है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास महिमा और वैभव है। लेकिन इस विचार को खुदा तआला ने जो रब्बुल आलमीन (ब्रह्मांड का पालनहार) है, जो ब्रह्मांड का स्रष्टा है बड़े जोर से नकारा है। फ़रमाया कि जिन बातों को तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हो यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं हैं। तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया गया कि इन दुनियावी भौतिक चीजों से फ़ायदा उठाओ और दुनिया से चले जाओ। नहीं, बल्कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(अजू जारियात- 27/57)

और मैंने जिन्नों और इन्सानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम फ़रमाते हैं कि:

"असल मकसद इन्सान की पैदाइश का यह है कि वह अपने रब को पहचाने और उसका आज्ञापालन करे जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(अजू ज़ारियात- 27/57)

और मैंने जिन्नों और इन्सानों को इसलिए पैदा किया है कि वे मेरी इबादत (उपासना) करें। मगर अफ़सोस की बात है कि अक्सर लोग जो दुनिया में आते हैं जवान होने के बाद बजाय इसके कि अपने फ़र्ज़ को समझें और अपनी जिंदगी के मकसद और पराकाष्ठा को दृष्टिगत रखें वे खुदा तआला को छोड़कर दुनिया की तरफ़ आकर्षित हो जाते हैं और दुनिया के माल तथा मान-सम्मान के ऐसे आशिक्र होते हैं कि खुदा का हिस्सा बहुत ही थोड़ा होता है और बहुत लोगों के दिल में तो होता ही नहीं। वे दुनिया ही में मगन और फ़ना हो जाते हैं। उन्हें ख़बर भी नहीं होती कि खुदा भी कोई है।" (मल्फ़ूज़ात जिल्द-4, पृष्ठ-134 नया एडीशन)

इस बात की तरफ़ राहनुमाई करने के लिए कि अपनी पैदाइश के मकसद को किस तरह पहचानना है और उस की इबादत किस तरह करनी है अल्लाह तआला दुनिया में नबियों को भेजता रहा है जो अपनी क्रौमों को इस इबादत के तरीक़ और पैदाइश के मकसद के हासिल करने के लिए राहनुमाई करते रहे और फिर जब इन्सान हर तरह के पैग़ाम को समझने के काबिल हो गया, उस की दिमागी बनावट इस स्तर

तक पहुंच गई कि जब वह इबादतों के भी बुलंद मियारों को समझने लगा और उसने दुनियावी अक्रल-ओ-फ़िरासत में भी तरक्की की नई राहें तै करनी शुरू कर दीं, आपस के मेल-जोल और परस्पर व्यवहार में भी तरक्की पैदा होनी शुरू हो गई तो इन्सान-ए-कामिल और खातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को उस आख़िरी शरीयत के साथ अल्लाह तआला ने भेजा जिसने फिर अल्लाह तआला से आदेश पाकर यह ऐलान किया कि-

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ

رَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (अलमायदा- 5/4)

कि आज मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए तुम्हारा धर्म पूर्ण कर दिया और अपनी नेमतों और अहसान को तुम पर पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को धर्म के तौर पर पसंद किया किया है। और इस कुरआन में जिसके लिए धर्म को पूर्ण किया अल्लाह तआला का कुर्ब (सानिध्य) पाने के तरीके बताए। इबादतों के उच्च स्तरों (आला मियारों) को छूने के तरीके भी वर्णन किए, सामाजिक संबंधों के निभाने के तरीके भी वर्णन किए, दुश्मनों से व्यवहार के तरीके भी वर्णन किए, समाज के कमजोर लोगों के अधिकारों को पूरा करने के तरीके भी वर्णन किए, औरतों के अधिकारों को पूरा करने के तरीके भी वर्णन किए। आइन्दा होने वाले नए आविष्कारों के आने और उनसे इन्सान के फ़ायदा उठाने के बारे में भी वर्णन कर दिया। ज़मीन और आसमान में जो भी मौजूद है उस के बारे में इन्सानी अक्रल-ओ-फ़िरासत की सीमाओं तक जितनी भी, जहां तक पहुंच हो सकती थी, उस के समझने के बारे में भी राहनुमाई की। हर वह चीज़ वर्णन कर दी जिन तक आज इन्सान की अक्रल की पहुँच

हो रही है बल्कि आइन्दा जिन बातों की आवश्यकता होगी उनके बारे में भी वर्णन कर दिया जिसके बारे में आज से 1400 साल पहले का इन्सान समझ नहीं सकता था और उससे पहले का इन्सान तो बिलकुल भी नहीं समझ सकता था। यद्यपि कि उस समय जब ये बातें पवित्र कुरआन में बयान हुई एक आम मुसलमान मोमिन समझ नहीं सकता था। लेकिन इन सब बातों को इन्सान-ए-कामिल और हज़रत ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्ताफ़ा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की फ़िरासत (दूरदृष्टि) जो थी उस वक़्त भी समझती थी। अतः वह एक ऐसा नूर कामिल (पूर्ण अध्यात्म प्रकाश) थे जो अल्लाह तआला के नूर से मुनव्वर थे और जिन्होंने अपने सहाबा में भी उनकी योग्यताओं के अनुसार वह नूर भर दिया, उन्हें इबादतों के तरीक़ भी सिखाए, उन्हें इबादतों के आला मियार हासिल करने की तरफ़ भी तवज्जो दिलाई, उनको अपनी पैदाइश के मक़सद को समझने की तरफ़ भी तवज्जो दिलाई। और फिर आप से वह नूर पा कर सहाबा ने अपनी योग्यताओं के अनुसार फिर उस नूर को आगे फैलाना शुरू कर दिया और फिर दीपक से दीपक रौशन होते चले गए और जिन बातों को उस समय का आम आदमी नहीं समझ सकता था उस के बारे में भी बता दिया कि इस कामिल किताब से क्रयामत तक अब दीपक प्रकाशमान होते चले जाएंगे और आइन्दा ज़माने के मोमिन अल्लाह तआला के इन अहसान अहसानों को देख लेंगे। एक दुनियादार तो सिर्फ़ दुनिया की नज़र से देखेगा लेकिन एक हक़ीक़ी मोमिन अपनी पैदाइश के मक़सद का हक़ अदा करते हुए उन को इस नज़र से देखेगा कि खुदा तआला की पेशगोई के मुताबिक़ आज ही ये चीज़ें पैदा हुई हैं। मोमिन की नज़र सिर्फ़ इन आविष्कारों से और इन

सांसारिक चीजों से सांसारिक लाभों तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि वह अपनी पैदाइश के मक़सद को समझते हुए इस हकीक़ी नूर से लाभ उठाने की कोशिश करेगा जो अल्लाह तआला के सबसे प्यारे नबी और सर्वश्रेष्ठ रसूल स० लेकर आए थे। जिस तरह ज़लालत और गुमराही के अंधेरो में भटके हुए लोग आज से 1400 साल पहले इस नबी के नूर से लाभान्वित हुए थे और हर मैदान में आला मियारों को छूने लगे। इसी तरह अब क्रयामत तक जो भी इस रसूल और इस कामिल शरीयत से हकीक़ी ताल्लुक जोड़ेगा, अंधकार से प्रकाश की ओर निकलता चला जाएगा और दुनिया और आख़िरत में अल्लाह तआला की जन्नतों का वारिस बनता चला जाएगा।

अल्लाह तआला ने एक जगह उस का जिक्र सूरत तलाक़ की आयत 12 में यूं फ़रमाया है-

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ- وَمَنْ يُؤْمِنْ
 بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا- قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا- (अत्तलाक़- 12)

कि एक रसूल के तौर पर जो तुम पर अल्लाह की रोशन कर देने वाली आयात तिलावत करता है ताकि उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए अंधेरो से रोशनी की तरफ़ निकाले। और जो अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छे काम करे वह उसे (ऐसी जन्नतों में दाख़िल करेगा जिनके दामन में नहरें बहती हैं। वह उनमें हमेशा रहने वाले हैं। (हर उस व्यक्ति के लिए (जो जो अच्छे काम करता है अल्लाह ने बहुत अच्छा बदला बनाया है।

अतः अगर अल्लाह तआला की रज़ामंदी हासिल करनी है तो फिर आँहज़रत के आदर्श और आप पर उतरी हुई तालीम (शिक्षा) की पाबंदी करना भी अनिवार्य है। इस तालीम पर पाबंदी और आपके आदर्श पर चलने की कोशिश ही अंधेरों से रोशनी की तरफ़ निकालते हुए अल्लाह तआला की रज़ामंदी को प्राप्त करने का कारण बनेगी। इस नूर से हिस्सा पाने वालों के लिए अल्लाह तआला ने ईमान के साथ अच्छे काम की भी शर्त रखी है। सिर्फ़ ईमान लाना ही काफी नहीं है। एक मोमिन को अच्छे काम की तरफ़ बहुत ज्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। झूठ और बुराइयों से बचने की ज़रूरत है। जो आयत मैंने पहले शुरू में तिलावत की थी उस में भी अल्लाह तआला ने साफ़ तौर पर बता दिया कि अल्लाह पर ईमान, उस के रसूल पर ईमान और कुरआन-ए-करीम पर ईमान ही नूर से हिस्सा दिलाने वाला बनेगा, जन्नत का वारिस बनाएगा। अल्लाह तआला इन्सान के हर अमल से बाख़बर (परिचित) है। उसको मालूम है कि इन्सान कौन से काम अल्लाह तआला की रज़ामंदी के लिए कर रहा है। रसूल के आदर्श और शिक्षा का किस हद तक पालन करने की कोशिश कर रहा है। ईमान का दावा दिल से है या सिर्फ़ ज़बानी बातें हैं। अतः अल्लाह तआला ने जो इन्सानों पर अहसान किया कि एक ऐसा नबी भेजा जिसकी शिक्षाओं पर अमल करने से ही दुनिया और आख़िरत में इन्सान की बचाव है तो उन लोगों का जो मोमिन होने का दावा करते हैं किस क्रदर यह फ़र्ज बनता है कि अपने ऊपर इस शिक्षा को लागू करें जो पूर्ण शिक्षा है। और फिर अल्लाह तआला का जारी अहसान देखें कि **وَآخِرِينَ مِنْهُمْ** (अल जुमा- 4) की ख़बर देकर यह तसल्ली भी करवाई कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और कुरआन करीम का फ़ैज़ान (अध्यात्म लाभ) जो फ़ैज़ान

नूर है यह जारी है। अंधेरे ज़माना के बाद आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के सच्चे आशिक्र और आप के नूर से सबसे ज़्यादा हिस्सा पाने वाले जिस इमाम और मसीह व महदी ने आना है उस के द्वारा फिर अंधेरों से नूर की तरफ़ राहनुमाई होगी। आने वाले मसीह मौऊद और महदी मौऊद ने फिर उम्मत को भी और बाक़ी दुनिया को भी एतिक्रादी (आस्थागत) और कर्म संबंधी अंधेरों से निकालना है और जो उस के साथ जुड़ जाएगा, जो उसे क़बूल करेगा, जो उस से सच्चा संबंध रखेगा, जो दुनिया की बुराइयों से बचते हुए उस से किए गए वादे की पाबंदी करेगा वह फिर अल्लाह तआला के फ़ज़लों को खींचते हुए जन्नतों की खुशख़बरी सुनेगा।

अतः एक अहमदी को जहां इस बात से तसल्ली होती है वहां फ़िक्र भी है। अपने जायज़े लेने (अर्थात आत्मनिरीक्षण) की ज़रूरत भी है। इस नूर से फ़ायदा उठाने के लिए अल्लाह तआला ने **يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا** (अत्तगाबुन-10) की शर्त रखी है कि अल्लाह पर ईमान के साथ नेक अमल (अच्छे काम) ज़रूरी हैं। अतः हमेशा यह बात दृष्टिगत रखनी चाहिए कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। कुछ बातें बज़ाहिर छोटी छोटी होती हैं। उदाहरण के तौर पर खुशियां हैं। यह देखने वाली बात है कि खुशियां मनाने के लिए हमारी क्या सीमाएं हैं और ग़मों के समय में हमारी क्या सीमाएं हैं। खुशी और ग़मी इन्सान के साथ लगी हुई है और दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कुछ सीमाएं और पाबंदियाँ हैं।

आजकल देखें, मुसलमानों में खुशियों के मौक़ों पर भी ज़माने की देखा देखी तरह तरह की बिदअतें और बुराइयाँ प्रचलित हो गई हैं और ग़मों के मौक़ों पर भी तरह तरह की बिदअतें और रस्में पैदा हो गई हैं। लेकिन एक अहमदी को इन बातों पर ग़ौर करने की ज़रूरत है कि जो काम भी

वह कर रहा है इस का किसी न किसी रंग में फ़ायदा नज़र आना चाहिए। और हर काम इसलिए होना चाहिए कि अल्लाह तआला और इस के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने जो सीमाएं निर्धारित की हैं उनके अंदर रहते हुए हर काम करना है।

मैंने खुशी और ग़मी का जो वर्णन किया है तो खुशियों में एक खुशी जो बहुत बड़ी खुशी समझी जाती है वह शादी की खुशी है और यह फ़र्ज़ है। जब कुछ सहाबा ने यह कहा कि हम खुदा तआला की इबादत की खातिर आजीवन विवाह नहीं करेंगे। तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उसे बुरा मनाया और फ़रमाया कि नेकी वही है जो मेरी सुन्नत पर अमल करते हुए और मेरी शिक्षा के मुताबिक़ की जाये। और मैंने तो शादियां भी की हैं, रोज़े भी रखता हूँ, इबादात भी करता हूँ।

(बुखारी किताबुन् निकाह, बाब अत्तरगीब फ़िन्निकाह हदीस नंबर-5063) और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की इबादतों का जो मियार है वह तो कल्पना से भी परे है। अतः यह मुसलमानों के लिए एक फ़र्ज़ है कि अगर कोई रुकावट न हो, कोई मजबूरी न हो तो ज़रूर शादी करे। लेकिन उनमें कुछ रस्में खासतौर पर पाकिस्तानी और हिन्दुस्तानी समाज में प्रचलित हो गई हैं जिन का इस्लाम की शिक्षा से कोई भी ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है।

अब कुछ रस्मों को अदा करने के लिए इस हद तक ख़र्च किए जाते हैं कि जिस समाज में इन रस्मों की अदायगी बड़ी धूम धाम से की जाती है वहां यह विचार बन गया है कि शायद यह भी शादी के फ़र्ज़ों में से है और इस के बग़ैर शादी हो ही नहीं सकती।

मेहंदी की एक रस्म है इस को भी शादी जितनी अहमियत दी जाने

लगी है। इस पर दावतें होती हैं, कार्ड छपवाए जाते हैं, स्टेज सजाये जाते हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई दिन दावतों का सिलसिला जारी रहता है और यह शादी से पहले ही आरंभ हो जाता है। कभी-कभी कई सप्ताह पहले जारी हो जाता है और हर दिन नया स्टेज भी सज रहा होता है और फिर इस बात पर भी तबसरे (समीक्षाएं) होते हैं कि आज इतने खाने पके और आज इतने खाने पके। ये सब रस्में हैं जिन्होंने (इतना खर्च करने की) ताकत न रखने वालों को भी अपनी लपेट में ले लिया है और ऐसे लोग फिर कर्ज़ के बोझ तले दब जाते हैं। ग़ैर अहमदी तो यह करते ही थे अब कुछ अहमदी घरानों में भी बहुत बढ़-बढ़ कर इन व्यर्थ और बेहूदा रस्मों पर अमल हो रहा है या कुछ ख़ानदान इस में लिप्त हो गए हैं। बजाय इसके कि ज़माने के इमाम की बात मान कर रस्मों से बचते समाज के पीछे चल कर उन रस्मों में जकड़ते चले जा रहे हैं।

कुछ महीने पहले मैंने इस तरफ़ तवज्जो दिलाई थी कि मेहंदी की रस्म पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च और बड़ी-बड़ी दावतों से हमें रुकना चाहिए। तो उस दिन यहां लंदन में भी एक अहमदी घर में मेहंदी की दावत थी। जब उन्होंने मेरा खुल्बा सुना तो उन्होंने दावत कैंसल (Cancel) कर दी और लड़की की कुछ सहेलियों को बुला कर खाना खिला दिया और बाक़ी जो खाना पका हुआ था वह यहां बैतुल फ़ुतूह में एक फंक्शन (Function) था, उस में भेज दिया। तो ये हैं वह अहमदी जो तवज्जो दिलाने पर तुरंत प्रतिक्रिया दिखाते हैं और फिर माफी के खत भी लिखते हैं।

लेकिन मुझे कुछ शिकायतें पाकिस्तान से और रब्बा से भी मिली हैं। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा अब इन रस्मों में पड़ने लग गए हैं और

रब्बा क्योंकि छोटा सा शहर है इसलिए सारी बातें तुरंत वहां नज़र भी आ जाती हैं। इसलिए अब मैं खुल कर कह रहा हूँ कि इन बेहूदा रस्मों-रिवाज के पीछे न चलें और इसे बंद करें।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने एक मर्तबा फ़रमाया कि: "हमारी क़ौम में यह भी एक बुरी रस्म है कि शादियों में सैंकड़ों रुपये का फ़ुज़ूल खर्च होता है।" (मजमूआ इश्तिहारात जिल्द- 1 पृष्ठ- 70)

आज से सौ साल पहले या उस से अधिक पहले, उस ज़माने में तो सैंकड़ों रुपये का खर्च भी बहुत बड़ा खर्च था। लेकिन आजकल तो सैंकड़ों क्या लाखों का खर्च होता है और अपनी बिसात से बढ़कर खर्च होता है। जो शायद उस ज़माने के सैंकड़ों रुपयों से भी अब ज़्यादा होने लग गया है बल्कि यह भी फ़रमाया कि "आतिशबाज़ी वग़ैरा भी हराम है।" (मलफ़ूज़ात जिल्द- 5 पृष्ठ-49 नया ऐडीशन)

शादियों पर आतिशबाज़ी की जाती है। अब लोग अपने घरों में चिरागां (बिजली की जलबुझ लड़ियाँ इत्यादि) भी शादियों पर करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा कर लेते हैं। एक तरफ़ तो पाकिस्तान में हर तरफ़ यह शोर पड़ा हुआ है और हर आने वाला यही बताता है, अख़बारों में भी यही आ रहा है कि बिजली की कमी है। कई-कई घंटे लोडशैडिंग होती है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है और दूसरी तरफ़ कुछ घर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करके न केवल देश के लिए नुक़सान का कारण बन रहे हैं बल्कि गुनाह भी मोल ले रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में आम तौर पर अहमदी इस बात की अहतियात करें कि फ़ुज़ूलखर्ची न हो और रब्बा में खासतौर पर इस बात का लिहाज़ रखा जाये। और रब्बा में यह सदर उम्मी की जिम्मेदारी है कि इस बात की निगरानी करें कि शादियों पर फ़ुज़ूल

खर्ची और दिखावा और अपनी शान तथा पैसे का जो इजहार है वह नहीं होना चाहिए। जमाअत पर अल्लाह तआला का खास फ़ज़ल है कि ग़मी (मातम) के मौक़ों पर जो रस्में हैं उनसे तो बचे हुए हैं। सातवाँ, दसवाँ, चालीसवाँ, ये जो ग़ैर अहमदियों की रस्में हैं उन पर अमल नहीं करते। जो कि कभी-कभी बल्कि अधिकतर यही होता है कि ये रस्में घर वालों पर बोझ बन रही होती हैं। लेकिन अगर समाज की देखा-देखी एक प्रकार की बद रस्मों में गिरफ़्तार हुए तो दूसरी प्रकार की रस्मों में भी पड़ सकते हैं और फिर उस किस्म की बातें यहां भी शुरू हो जाएँगी।

अतः हर अहमदी को अपने मुक़ाम को समझना चाहिए कि अल्लाह तआला ने उस पर अहसान करते हुए उसे मसीह और महेदी की जमाअत में सम्मिलित होने का सामर्थ्य प्रदान किया है। अब यह उसका फ़र्ज़ है कि सही इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार पालन हो। शादी ब्याह के लिए इस्लामी शिक्षाओं में जो फ़र्ज़ हैं उनमें शादी का एक फ़र्ज़ है इसके लिए एक फंक्शन किया जा सकता है। यदि सामर्थ्य हो तो खाना वग़ैरा भी खिलाया जा सकता है। यह भी फ़र्ज़ नहीं कि हर बारात जो आए उसमें मेहमानों को बुला के खाना खिलाया जाये, अगर दूर से बारात आ रही है तो सिर्फ़ बारातियों को ही खाना खिलाया जा सकता है। लेकिन अगर देश का क़ानून रोकता है तो खाने वग़ैरा से रुकना चाहिए और एक सीमित स्तर पर सिर्फ़ अपने घर वाले या जो थोड़े बहुत बाराती हैं वे खाना खाएं। क्योंकि पाकिस्तान में एक समय में मुल्की क़ानून ने पाबंदी लगाई हुई थी। अब क्या हालात हैं मुझे ज्ञान नहीं लेकिन किसी सीमा तक पाबंदी तो अब भी है।

दूसरी बात वलीमा है जो (विवाह संबंधी इस्लाम का) वास्तविक

आदेश है कि अपने करीबियों को बुला कर उनकी दावत की जाये। अगर देखा जाये तो इस्लाम में शादी की दावत का यही एक आदेश है। लेकिन वह भी ज़रूरी नहीं कि बड़े व्यापक स्तर पर हो। (बल्कि) सामर्थ्यानुसार जिसकी जितनी ताकत है, (लोगों को) बुला कर खाना खिला सकता है।

अतः जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह तआला ने हमें हमारी पैदाइश का मक़सद बताया है। हर वह काम जो नेक काम है, जो खुदा तआला की रज़ामंदी की खातिर है, वह इबादत बन जाता है। अगर यह मद्दे नज़र रहे तो इसी चीज़ में हमारी कामयाबी है और इसी बात से फिर रस्मों से भी हम बच सकते हैं, बिदातों से भी हम बच सकते हैं, फुज़ूल खर्चियों से भी हम बच सकते हैं, व्यर्थ बातों से भी हम बच सकते हैं और जुल्मों से भी हम बच सकते हैं। ये जुल्म एक तो ज़ाहिरी जुल्म हैं जो अत्याचारी लोग करते ही हैं और दूसरे कभी-कभी अनजाने में इस किस्म की रस्मो-रिवाज में गिरफ़्तार होकर अपनी जान पर जुल्म कर रहे होते हैं। और फिर समाज में इस को रिवाज देकर उन ग़रीबों पर भी जुल्म कर रहे होते हैं जो समझते हैं कि यह चीज़ शायद फ़र्ज़ों में सम्मिलित हो चुकी है। और जिस समाज में जुल्म और व्यर्थ बातों और बिदातों वगैरा की ये हालतें हों, वह समाज फिर एक दूसरे का हक़ मारने वाला होता है और फिर जैसा कि मैंने कहा एक दूसरे पर जुल्म करने वाला होता है लेकिन अगर हम इन चीज़ों से बचेंगे तो हम हक़ मारने से भी बच रहे होंगे, जुल्मों से भी बच रहे होंगे और अल्लाह तआला की रज़ामंदी हासिल करने वाले भी बन रहे होंगे। और आज अहमदी से बढ़कर कौन ऐसे समाज का नारा लगाता है जिसमें अल्लाह तआला की रज़ामंदी और दूसरों के अधिकारों को स्थापित करने की बातें हो रही हों। आज अहमदी के अतिरिक्त किस

ने इस बात का वादा किया है कि रस्मो रिवाज के अनुसरण और अपनी तामसिक इच्छाओं से बाज़ आ जाएगा। आज अहमदी के अतिरिक्त किस ने इस बात का वादा किया है कि कुरआन शरीफ़ की हुकूमत को पूरी तरह से अपने सिरों पर ऋबूल करेगा। आज अहमदी के अतिरिक्त किस ने इस बात का वादा किया है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के कथन को अपने हर एक काम में मार्गदर्शक बनाएगा?

अतः जब अहमदी ही है जिसने अल्लाह और उसके रसूल और कुरआन-ए-करीम के नूर से लाभान्वित होने के लिए ज़माने के इमाम के हाथ पर यह वादा किया है जो शराइत बैअत में सम्मिलित है तो फिर अपने वादे का पास रखने की ज़रूरत है। इस वादे की पाबंदी करके हम अपने आपको जकड़ नहीं रहे बल्कि शैतान के पंजे से छुड़ा रहे हैं। खुदा और उस के रसूल की बातों पर अमल करते हुए हम अपने बचाव के उपाय कर रहे हैं। अपनी समझ-बूझ को तेज़ रहे हैं। अपने सम्मान तथा पवित्रता की सुरक्षा कर रहे हैं। अपनी शर्मो-हया के मियार बुलंद कर रहे हैं, सब्र और कम चीज़ों में गुज़ारा करने की ताक़त अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर तप और संयम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ईमानों में मज़बूती पैदा कर रहे हैं, अपनी अमानत के हक़ अदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह तआला के भय, अल्लाह तआला की मुहब्बत और अल्लाह तआला की तरफ़ निष्ठावान हो कर झुकने के मियार हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी पैदाइश के मक़सद को हासिल कर सकें।

तो अगर अंधेरो से निकलना है और नूर हासिल करना है और ज़माने के इमाम की बैअत का सही हक़ अदा करना है तो दुनिया-दारी

की बातों को छोड़ना होगा। अपने अंदर पाक तबदीलियां पैदा करनी होंगी। अपने आपको उत्तम शिष्टाचार की तरफ़ ले जाने के लिए प्रयत्न करने होंगे।

शर्मो-हया का मियार बुलंद करने का मैंने वर्णन किया है। शर्मो-हया भी एक ऐसी चीज़ है जो ईमान का हिस्सा है। आजकल के सांसारिक आविष्कार जैसा कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया था, टीवी है, इंटरनेट वगैरै है उसने हया के मियार का इतिहास ही बदल दिया है। खुली खुली बे-हयाई दिखाने के बाद भी यही कहते हैं कि यह बे-हयाई नहीं है। अतः एक अहमदी की हया का यह मियार नहीं होना चाहिए जो टीवी और इंटरनेट पर कोई देखता है। यह हया नहीं है बल्कि तामसिक इच्छाओं में गिरफ़्तारी है। परस्पर खुल कर मेलजोल और बेपर्दगी ने कुछ बजाहिर शरीफ़ अहमदी घरानों में भी हया के मियार उलट कर रख दिए हैं। ज़माने की तरक्की के नाम पर कुछ ऐसी बातें की जाती हैं, कुछ ऐसी हरकतें की जाती हैं जो कोई शरीफ़ आदमी देख नहीं सकता चाहे मियां बीवी हों। कुछ हरकतें ऐसी हैं जब दूसरों के सामने की जाती हैं तो वह न केवल नाजायज़ होती हैं बल्कि गुनाह बन जाती हैं। अगर अहमदी घरानों ने अपने घरों को इन बेहूदगियों से पाक न रखा तो फिर उस वादे का भी पास न किया और अपना ईमान भी नष्ट कर दिया, जिस वादे की तजदीद (नवीनीकरण) उन्होंने इस ज़माने में वक़्त के इमाम (हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम) के हाथ पर की है।

आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने बहुत स्पष्ट फ़रमाया है कि **الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ** कि हया भी ईमान का एक हिस्सा है।

(मुस्लिम किताबुल ईमान, बाब शा'बुल ईमान व अफ़ज़लुहा, हदीस नंबर-59)

अतः हर अहमदी नौजवान को खासतौर पर यह दृष्टिगत रखना चाहिए कि आजकल की बुराइयों को मीडिया पर देखकर उस के जाल में न फंस जाएं वरना ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। इन्हीं बेहूदगियों का असर है कि फिर कुछ लोग जो इस में लिप्त होते हैं तमाम सीमाएं फलाँग जाते हैं और इस वजह से फिर कुछ लोगों को इखराज-अज-जमाअत की सजा भी देनी पड़ती है। अतः हमेशा यह बात दिमाग में हो कि मेरा हर काम खुदा तआला की रजामंदी के लिए है।

एक हदीस में आता है, आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : बे-हयाई हर करने वाले व्यक्ति को बदनुमा (कुरूप) बना देती है और शर्मो-हया हर हयादार व्यक्ति को सुन्दर तथा सुरूप प्रदान करती है और उसे ख़ूबसूरत बना देती है।

(तिरमिज़ी किताबुल बिर्े वस्सिला बाब- मा जा'अ फ़िल फ़ुहशे वत्तफ़हहुश् हदीस नंबर-1974)

अतः यह ख़ूबसूरती है जो इन्सान के अंदर नेक कामों को करने और उस की तहरीक करने से पैदा होती है।

एक हदीस में आता है कि आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : अल्लाह तआला की शर्म दिल में होनी चाहिए जैसा कि उससे शर्मने का हक़ है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह तआला का शुक्र है कि उसने हमें शर्मो-हया प्रदान की है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया : ऐसे नहीं, बल्कि जो व्यक्ति शर्म रखता है वह अपने दिमाग़ और उस में समाये हुए विचारों की हिफ़ाज़त करे। (यह शर्म है कि अपने दिमाग़ में आने वाले विचारों की हिफ़ाज़त करो)। पेट तथा उस में जो ख़ुराक भरता है उसकी भी हिफ़ाज़त करे। मौत और आजमाइश को

याद रखना चाहिए। जो व्यक्ति आखिरत पर नज़र रखता है वह सांसारिक जीवन की साजो-सजावट के विचारों को छोड़ देता है। अतः जिसने यह जीवन प्रणाली अपनाई उसने वाक़ई खुदा की शर्म रखी।

(तिरमिज़ी किताब सिफ़तिल-क्रयामते वर्क़ाइके वल्वरइ, बाब- 89/24, हदीस नंबर- 2458)

यह आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम का फ़रमान है।

अतः दिमाग़ में आने वाले हर विचार को अल्लाह तआला की शर्म लिए हुए आना चाहिए। अगर कोई बुरा विचार आता भी है तो उसे फ़ौरी तौर पर झटका जाना चाहिए। इस्तिग़फ़ार के द्वारा उस को झटकना चाहिए। जब विचार पवित्र होंगे तो कर्म भी पवित्र होंगे। फिर बुराइयाँ ऐसे इन्सानों पर कोई असर नहीं डाल सकेंगी। इसी तरह इन्सान अपनी रोज़ी के भी हलाल माध्यम इस्तिमाल करे। मेहनत करे और मेहनत से कमाए, बजाय इसके कि दूसरों के पैसे पर नज़र रखकर छीनने की कोशिश करे या ग़लत तरीक़े से पैसे कमाए। पाकिस्तान इत्यादि में रिश्वत वग़ैरा भी बड़ी आम है ये सब हलाल की कमाइयाँ नहीं हैं। आपने यही फ़रमाया कि अपने पेट की और उसमें जो ख़ुराक भरता है उस की भी हिफ़ाज़त करे। अतः जायज़ कमाई से अपना भी और अपने बीवी बच्चों का भी पेट पाले। और ऐसे ही लोग हैं जो फिर अल्लाह और उसके रसूल पर सही ईमान लाने वाले होते हैं।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहि अलस्सलातो वस्सलाम की एक दुआ है, अल्लाह को पाने के लिए यह दुआ लिखी हुई है। आप ने फ़रमाया कि:

"हे मेरे क़ादिर ख़ुदा हे मेरे प्यारे राहनुमा! तू हमें वह राह दिखा

जिससे नेक लोग तुझे पाते हैं और हमें उन राहों से बचा जिनका उद्देश्य केवल काम वासना हैं या ईर्ष्या या द्वेष या दुनिया का लोभ तथा लालच।" (पैगाम-ए-सुलह, रुहानी खजाइन जिल्द-23, रब्वा से प्रकाशित)

अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने वादे को निभाते हुए, अपनी बैअत की हक्रीकत को समझते हुए हक्रीकी ईमान लाने वालों में शामिल हों। हमेशा याद रखना चाहिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई। अगर उसके बाद फिर हम दुनियादारी में पड़ कर रस्मो-रिवाज या बुराइयों के बेड़ियाँ अपनी गर्दनो में डाले रहेंगे तो हम न इबादतों का हक़ अदा कर सकते हैं न नूर से हिस्सा ले सकते हैं। कुरआन-ए-करीम में एक जगह अल्लाह तआला ने आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बारे में यह फ़रमाया कि-

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (अल आराफ़- 158)

कि जो इस (रसूल) पर ईमान लाने वाले हैं वह उनको नेक बातों का हुक्म देता है और उन्हें बुरी बातों से रोकता है और उनके लिए पवित्र चीज़ें हलाल करार देता है और नापाक चीज़ें हराम करार देता है और उनसे उनके बोझ और बेड़ियाँ उतार फेंकता है अर्थात गर्दनो में जो फंदे पड़े हुए हैं वह उतार देता है जो फंदे पहली क्रौमों में पड़े हुए थे, पहली नस्तों में पड़े हुए थे, अपने दीन को भूल कर रस्मो-रिवाज में पड़ कर यहूदियों और ईसाइयों ने गलों में जो फंदे डाले हुए थे, अब वही बातें कुछ मुसलमानों में पैदा हो रही हैं। अगर हम में भी पैदा हो गई तो फिर हम यह दावा

किस तरह कर सकते हैं कि हम इस समय आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पैग़ाम को दुनिया में पहुंचाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। अतः ये बेड़ियाँ हमें उतारनी होंगी।

तो इस बात को हमेशा अपने सामने रखें कि हम उस नबी पर भी ईमान लाए हैं जिसने हमारे लिए हलाल और हराम का फ़र्क़ बता कर धर्म के बारे में ग़लत दृष्टिकोण के तौक़ (बेड़ियाँ) हमारी गर्दनों से उतारे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मुसलमानों की बदक्रिस्मती है कि बावजूद इन स्पष्ट आदेशों के फिर भी कुछ तौक़ अपनी गर्दनों पर डाल लिए हैं।

लेकिन हम अहमदी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बैअत के बाद इस हक़ीक़त को दुबारा समझे हैं कि यह तौक़ अपनी गर्दनों से किस तरह उतारने हैं। अल्लाह का अहसान है कि क़ब्रों पर सज़्दे से हम बचे हुए हैं, पीर परस्ती से सामान्यता बचे हुए हैं कुछ जगह से इक्का-दुक्का शिकायतें आती भी हैं लेकिन आमतौर पर कुछ ग़लत किस्म के रस्मो रिवाज से हम बचे हुए हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कुछ चीज़ें राह पा रही हैं। अगर हम बे-एहतियातियों में बढ़ते रहे तो ये तौक़ फिर हमारे ग़लों में पड़ जाएंगे जो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने हमारे ग़लों से उतारे हैं और जिनको इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उतारने की पुनः नसीहत फ़रमाई है, और फिर हम धर्म से दूर हटते चले जाएंगे। अब ज़ाहिर है कि जब ऐसी सूरत होगी तो फिर जमाअत से भी बाहर हो जाएंगे क्योंकि जमाअत से तो वही जुड़ कर रह सकते हैं जो नूर से हिस्सा लेने वाले हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल और किताब से हिस्सा ले रहे हैं। जो अल्लाह और रसूल और उस की किताब से हिस्सा नहीं ले रहे वे नूर से भी हिस्सा नहीं ले रहे। जो नूर से

हिस्सा लेने की कोशिश नहीं कर रहे वे ईमान से भी दूर जा रहे हैं। तो यह तो एक चक्कर है जो चलता चला जाता है। अतः हर समय अपनी हालतों का जायजा लेने की जरूरत है। आँहजरत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जो खुद भी नूर थे और आसमान से कामिल नूर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर उतरा था, आप यह दुआ करते हैं कि हे अल्लाह! मेरे दिल और मेरे अन्य अंगों में नूर रख दे।

(बुखारी किताबुद्दावात, बाब अददुआ इज्जिन्तबहु मिनल्लैल, हदीस नंबर-6316)

यह दुआ असल में तो हमें सिखाई गई है कि हर वक़्त अपनी सोचों और अपने अंगों को, अपने विचारों को, अपने दिमागों को, अपने शरीर के हर हिस्सा को अल्लाह तआला की शिक्षा के अनुसार प्रयोग में लाने की कोशिश करो और इसके लिए दुआ करो कि दिमाग़ भी पवित्र विचार रखने वाले हों और जो काम हम करें वह भी अल्लाह तआला की रज़ामंदी को प्राप्त करने की कोशिश करने वाले हों।

अल्लाह तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने ईमानों में मज़बूती पैदा करने वाले हों, अल्लाह और उसके रसूल के कथन पर अमल करने वाले हों, रस्मो रिवाज से बचने वाले हों, सांसारिक मोह-माया तथा अत्याचारों से दूर रहने वाले हों और अल्लाह तआला के नूर से हम हमेशा हिस्सा पाते चले जाएं। हमारा कोई दुर्भाग्य कभी हमें इस नूर से महरूम न करे।

